न्यायालय जिला न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी - अनंत भण्डारी

दीवानी विविध प्रार्थनापत्र संख्या - 41/2019

C.I.S. No. - 40/2019
CNR No. - RJAL010005892019

1. देवीचंद पुत्र श्री हरिचंद, उम्र करीबन 57 साल, निवासी जैन मंदिर के पास, रामगढ, तहसील रामगढ, जिला अलवर (राज.)

---प्रार्थी

विरूद्ध

1. महालक्ष्मी साडी सैंटर, दुकान नंबर 10, नगरपरिषद के पास, अलवर (राज.)
2. राजेन्द्र कुमार सिंघल, नगर परिषद के पीछे, बालाजी मार्केट, अलवर (राज.)
3. न्यू प्रिया दुपट्टा सैंटर, दुकान नंबर 06, तिलक मार्केट, अलवर (राज.)
4. योगेश सूट कलैक्शन, जांगिड धर्मशाला, बस स्टैण्ड, अलवर (राज.)
5. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा रामगढ, जिला अलवर (राज.)

---अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र दिवालिया घोषित किये जाने बाबत।

उपस्थितः-
1- श्री योगेश चंद दिनगर, विद्वान अधिवक्ता-प्रार्थी की ओर से।
2- श्री नरेश सैनी, विद्वान अधिवक्ता-अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से।
3- श्री भीमसेन अदलक्खा, विद्वान अधिवक्ता-अप्रार्थी संख्या-05 बैंक की ओर से।

नि र्ण य

दिनांकः 25.08.2026

1- प्रार्थी देवीचंद द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में स्वयं को दिवालिया घोषित करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी की दुकान रामगढ़ में मुख्य बाजार में सीताराम जी मंदिर के सामने थी, जिसमें वह कपड़े का व्यापार महावीर क्लॉथ के नाम से करता था। दुर्भाग्यवश दिनांक 16.05.2018 को सुबह बिजली का शॉर्टकट हो जाने के कारण दुकान में आग लग गई, जिसके फलस्वरुप दुकान में रखा कपड़े का सारा माल, रोकड़ खाते, कागजात आदि सभी जल गए। इस बाबत पुलिस थाना रामगढ़ में दिनांक 16.05.2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई तथा इसकी सूचना भारतीय स्टेट बैंक, शाखा रामगढ़ में दिनांक 16.05.2018 को लिखित में दर्ज कराई। प्रार्थना पत्र में आगे यह भी कथन किया है कि भारतीय स्टेट बैंक,

शाखा रामगढ़ में प्रार्थी का खाता है और इस बैंक से प्रार्थी ने अपने व्यापार के लिए 8,00,000/- रुपए उधार लिए थे और बैंक के जरिए प्रार्थी ने दुकान के कारोबार की सुरक्षा के लिए बीमा भारतीय स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त किया था। दुकान में आग लग जाने के कारण बीमा कंपनी भारतीय स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 2,00,000/- रुपये की राशि स्वीकार कर, उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक रामगढ़ में जमा कर दिए और इस राशि की अदायगी हो जाने के कारण प्रार्थी के जिम्मे, बैंक की 6,00,000/रुपए की राशि शेष रही।

2- प्रार्थना पत्र में आगे यह भी कथन किया है कि राजेंद्र कुमार सिंघल अलवर की प्रार्थी के जिम्मे 40,000/-रुपए की रकम वाजिब है। न्यू प्रिया दुपट्टा सेंटर अलवर की 40,000/- रुपए की रकम वाजिब है। योगेश सूट कलेक्शन, अलवर की 60,000/- रुपए की रकम वाजिब है तथा भारतीय स्टेट बैंक, शाखा रामगढ़ की 6,00,000/- रुपए की रकम वाजिब है। प्रार्थी के जिम्मे महालक्ष्मी साड़ी सेंटर के 1,30,000/- रुपये वाजिब हैं। उसकी दुकान में आग लगने की खबर, अखबार अलवर पत्रिका में दिनांक 17.05.2018 को प्रकाशित हुई है। प्रार्थी के पास कोई चल-अचल संपत्ति नहीं है, कोई मकान, दुकान मिल्कियत नहीं है। प्रार्थी के जिम्मे जो कर्ज हैं, उस कर्ज की वसूली के लिए, अप्रार्थीगण उसे तंग कर रहे हैं, जबकि प्रार्थी के पास कर्जा अदायगी का कोई साधन नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विभिन्न तथ्यों के आधार पर स्वयं को दिवालिया घोषित कराए जाने का निवेदन किया।

3- अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 ने प्रार्थना पत्र का जवाब संयुक्त रूप से पेश कर दिनांक 16.05.2018 को सुबह के समय बिजली का शॉर्टकट होने से प्रार्थी की दुकान में आग लगने के तथ्य को स्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि प्रार्थी राजेंद्र कुमार सिंघल के प्रार्थी की ओर 33,014/- रुपए, अप्रार्थी न्यू प्रिया दुपट्टा के प्रार्थी की ओर 44,733/-रुपए तथा अप्रार्थी योगेश सूट कलेक्शन के प्रार्थी की ओर 56,406/- रुपए तथा महालक्ष्मी साड़ी सेंटर के 1,07,890/- रुपए बकाया हैं। यह भी कथन क्या है कि प्रार्थी के पास काफी चल व अचल संपत्ति है, परंतु केवल अप्रार्थीगण की रकम को अदा नहीं करने के लिए उसके द्वारा यह बदनीयती से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतिरिक्त कथनों में यह भी कथन किया है कि प्रार्थी की दुकान में दिनांक 16.05.2018 को आग लग जाने के बाद 10 माह की देरी से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को विगत 10 महीने तक यह कहा कि उसका बैंक से बीमा है, जिसकी राशि मिलते ही वह कर्ज अदा कर देगा। जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित विभिन्न तथ्यों के आधार पर यह कथन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर, अप्रार्थीगण को बतौर विशेष हर्जा 5000/- अदा करवाये जाएं।

4- अप्रार्थी संख्या-05 भारतीय स्टेट बैंक की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जाकर, प्रार्थी की दुकान में दिनांक 16.05.2018 को सुबह बिजली का शॉर्टकट हो जाने कारण आग लग जाने के तथ्य को स्वीकार किया है तथा कथन किया है कि प्रार्थी देवीचंद ने अपनी फर्म मैसर्स श्री महावीर क्लॉथ स्टोर के नाम से प्रोपराइटर की हैसियत से अप्रार्थी संख्या-05 भारतीय स्टेट बैंक,शाखा रामगढ़ से 8,00,000/रुपए की ऋण सुविधा प्राप्त की हुई है, जिसमें एस.बी.आई. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्राप्त बीमित राशि 2,00,000/रुपए प्राप्त होने के पश्चात

प्रार्थी की ओर अप्रार्थी संख्या-05 बैंक के 6,73,250/- रुपए वाजिब बकाया हैं, जिसे अप्रार्थी संख्या-05 बैंक मय ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थी के पास काफी बेनामी व चल-अचल संपत्ति है, जिसे बेचकर वह आसानी से ऋण की अदायगी कर सकता है,लेकिन वह जानबूझकर ऋण की अदायगी नहीं करना चाहता है और उसने जानबूझकर दुकान का सामान, स्टॉक आदि को खुर्द कर दिया है। अतिरिक्त कथनों में यह भी कथन किया है कि आग लग जाने के 10 माह पश्चात प्रार्थना पत्र का पेश किया जाना, प्रार्थी की बदनियति को स्पष्ट करता है और अप्रार्थी संख्या-05 द्वारा प्रार्थी से अपनी रकम का तकाजा किए जाने पर प्रार्थी द्वारा अपने पुत्रों से रकम की व्यवस्था कराकर कर्जा अदायगी का आश्वासन दिया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित विभिन्न तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर बतौर हर्जा प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या-05 बैंक को 20,000/रुपए की राशि दिलवाए जाने का निवेदन किया।

5- पक्षकारों के उक्त अभिकथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विचित किए गए :-

(1) आया प्रार्थी की हैसियत अप्रार्थीगण की रकम चुकाने की नहीं होने से प्रार्थी दिवालिया घोषित करवाने का अधिकारी है ?

---प्रार्थी

(2) आया प्रार्थी द्वारा बदनियतिपूर्वक प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, प्रार्थी के पास चल-अचल सम्पत्तियाँ हैं, जिनसे रकम अदा करने की हैसियत है, इस कारण से प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है ?

–-अप्रार्थीगण

(3) आया अप्रार्थीगण विशेष हर्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हाँ तो कितना ?

–-अप्रार्थीगण

(4) अनुतोष?

6- प्रार्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू-01 देवी चंद, ए.डब्ल्यू-02 मोहर खान, ए.डब्ल्यू-03 अर्जुन, ए.डब्ल्यू-04 खेमचंद के बयान लेखबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श-01 लगायत प्रदर्श- 06 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।

7- अप्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.डब्ल्यू-1 नरेंद्र कुमार जलथनिया के बयान तथा गवाह डी.डब्ल्यू-02 रघुवर दयाल के बयान लेखबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शन ए-1/ए लगायत प्रदर्श ए 3/ए 3a को प्रदर्शित करवाया गया।

विवाद्यक संख्या-01 व 02

8- विवाद्यक संख्या-01 को साबित करने का भार प्रार्थी पर तथा विवाद्यक संख्या 02 को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर है। चूंकि उक्त दोनों ही विवाद्यक परस्पर संबंधित अतः उक्त दोनों विवाद्यक का निस्तारण एक साथ किया जाना उचित है।

9- प्रार्थी ने स्वयं की हैसियत अप्रार्थीगण का ऋण चुकाने की न होना बताते हुए दिवालिया घोषित किए जाने का अधिकारी होने का कथन किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या एक लगाए चार तथा अप्रार्थी संख्या-05 भारतीय स्टेट बैंक ने कथन किया है कि प्रार्थी के पास काफी बेनामी व अचल-चल संपत्ति है एवं प्रार्थी, अप्रार्थीगण की रकम की अदायगी से बचाना चाहता है। पक्षकारों द्वारा दी गई साक्ष्य के आधार पर हम को यह निष्कर्ष निकालना है कि, क्या प्रार्थी की हैसियत अप्रार्थीगण के ऋण को चुकाने की है या नहीं एवं क्या प्रार्थी दिवालिया घोषित किए जाने योग्य है?

10- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी के द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई है, उसमें समस्त गवाह प्रार्थी की दुकान में आग लग जाना तथा समस्त सामान का नष्ट हो जाना कथन करते हैं। प्रार्थी के पास कोई अन्य चल अचल संपत्ति नहीं है। ऐसे में प्रार्थी, अप्रार्थीगण से प्राप्त की गई उधार राशि को चुकाने में असमर्थ है। अतः उसे दिवालिया घोषित किया जाए।

11- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी कथन किया है कि प्रार्थी ने साक्ष्य में उसकी दुकान में आग लग जाने के संबंध में पुलिस में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 पेश की है। पुलिस की रोजनामचा रपट दिनांक 16.05.2018 की सत्य प्रति प्रदर्श-02 भी प्रस्तुत की है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रार्थी की स्वयं की संपत्ति थी, जिसका बेचान, प्रार्थी ने कथित रूप से आग लगने के बाद दिनांक 27.08.2018 को किया है। इससे प्रकट है कि प्रार्थी ने बाद में अपनी संपत्ति का बेचान किया है। प्रार्थी चाहता तो बेचान से प्राप्त राशि से कर्जा अदा कर सकता था। प्रार्थी का यह कथन भी गलत रहा है कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या-05 बैंक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी ने जब बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन किया था तो, उसने अपना पर्सनल असेट्स एंड लायबिलिटीज स्टेटमेंट प्रदर्श ए 2/ 2 पेश किया था, जिसमें उसने अपनी समस्त चल व अचल संपत्तियों की तत्समय कीमत 35 लाख रुपए से अधिक होना घोषित की थी, जिसमें से कृषि भूमि 15,50,000/- रुपए, महावीर क्लॉथ में रखा सामान 9,86,000/- रुपए और अन्य संपत्तियां 9,87,000/-रुपए की बताई थी। प्रार्थी ने स्वयं की 5,00,000/रुपए की लायबिलिटी होना बताते हुए, उक्त 5,00,000/-रुपए कम करने के बाद, स्वयं की कुल नेटवर्थ 30,23,000/- रुपए घोषित की थी। इस प्रकार जब दिनांक 18.11.2017 में प्रार्थी के पास 30,23,000/- रुपए की संपत्ति थीं, तो वर्ष 2018 में आग लगने के बाद प्रार्थी की हैसियत शून्य हो जाना संभव नहीं है। यदि दुकान में रखे सामान की कीमत को भी कम किया जाए, तो कुल 9,86,000/रुपए कम होते हैं। उसके बाद भी प्रार्थी के पास करीब 20,00,000/-रुपए से अधिक की संपत्तियां होना स्वयं द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट से सिद्ध होती है। अतः प्रार्थी ने जानबूझकर स्वयं को दिवालिया घोषित करने के लिए निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की प्रार्थना की है।

12- अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण का यह तर्क है कि प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य में अपनी ललावंडी की संपत्ति, पी.डब्ल्यू-04 खेमचंद को बेचान करना बताया है, जो कि पूर्व में उधार दी गई राशि 3,90,000/-रूपये की एवज में संपत्ति का बेचान उसको करना बताया है।

प्रार्थी की ओर से जो उधार राशि के संबंध में निष्पादित प्रोमेसरी नोट एवं विक्रय पत्र पेश किया गया है, वह नुमाईशी तौर पर संपत्ति को फर्जी रूप से प्रोमेसरी नोट बनाकर, उस प्रोमेसरी नोट के बदले अपनी संपत्ति का बेचान करना बताया है। वास्तव में प्रार्थी ने न तो खेमचंद से कोई राशि उधार प्राप्त की है और न ही उसको कोई संपत्ति वास्तविक रूप से बेचान की गई है। प्रार्थी ने अपने मूल प्रार्थनापत्र में खेमचंद को अपनी संपत्ति के बेचान का कहीं भी हवाला नहीं दिया है। चूंकि प्रार्थी, अप्रार्थीगण से उधार प्राप्त की गई राशि को लौटाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सपंत्ति का बेचान नुमाईशी तौर पर खेमचंद को किया है।

13- उभय पक्ष के उक्त तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

14- हम पाते हैं कि प्रार्थी की ओर से जो साक्ष्य पेश हुई है, उसमें प्रार्थी देवी चंद ने मूल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए स्वयं की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग जाना और दुकान में रखे समस्त माल का जल जाना बताया है। स्वयं के पास मिल्कियत की कोई मकान, दुकान नहीं होना बताया है और कोई चल-अचल संपत्ति नहीं होना कथन किया है। जिरह में गवाह ने स्वयं का किराए के मकान में रहना और किराया 1700/- रुपए मासिक होना तथा किरायानामा नहीं लिखे होने का कथन किया है। इस बात से इनकार किया है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मकान, दुकान, प्लॉट बेचकर मेरे बेटे प्रदीप के ससुराल में उसे मकान व दुकान दिलवा दी हो। यह कथन किया है कि मेरा बेटा प्रदीप भी इस मकान में किराए पर रहता है। जिरह मैं यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मैंने बैंक को यह लिख कर दिया हो कि मेरा पुराना मकान व कृषि भूमि ललावंडी गांव है, जिसकी कीमत 15,00,000/- रुपया हो। मुझे नहीं मालूम की बैंक ने मेरे खिलाफ वसूली का कोई दावा डीजे साहब अलवर में किया हो। यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेते समय पर्सनल असेट्स लायबिलिटीज स्टेटमेंट में यह लिखित में दिया हो कि मेरे नाम ललावंडी गांव में एक एग्रीकल्चर लैंड में खुद का मकान हो, जिसकी कीमत 15,00,000/- रुपए हो। प्रदर्श ए-01 में ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, यह सही है, लेकिन मुझको इस बात का पता नहीं है कि बैंक वालों ने फॉर्म में क्या भरा। मैंने केवल हस्ताक्षर किए थे, अजखुद कहा कि मेरे पास दुकान के अलावा कुछ नहीं है। प्रदर्श ए-02 पर्सनल असेट्स लायबिलिटीज स्टेटमेंट है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ए-2/2 है। यह सही है कि दिनांक 18.11.2017 को प्रदर्श ए-02 पर मेरे हस्ताक्षर हैं जो ए से बी भाग है, लेकिन प्रदर्श ए-02 में क्या लिखा है मुझे पता नहीं है।

15- इस प्रकार से जो साक्ष्य प्रार्थी देवीचंद ने दी है, उसमे स्वयं के पास कोई संपत्ति नहीं होना बताया है और प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श ए-2/2 पर्सनल असेट्स एंड लायबिलिटीज स्टेटमेंट पर उसके हस्ताक्षर हैं, परंतु यह भी कथन किया है कि उसमें क्या लिखा है उसे पता नहीं है।

16- प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाह ए.डब्ल्यू - 02 मोहर खान ने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में दुकान में आग लग जाने, आग से दुकान में रखा माल, रोकड़ खाते जल जाने का

कथन किया है। यह भी कथन किया है कि जहां तक मुझे जानकारी है, देवी चंद के पास न तो खुद की दुकान है, न घर का मकान है, न ग्राम ललावंडी में घर व दुकान है। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में देवी चंद द्वारा खेमचंद पुत्र चंद्रभान से 3,90,000/- उधार लेकर प्रोमेसरी नोट लिखे जाने का कथन किया है, जिस पर स्वयं के बतौर गवाह हस्ताक्षर होना बताया है।

17- गवाह ए.डब्ल्यू-03 अर्जुन ने भी देवी चंद की दुकान में आग लग जाने का कथन किया है और आग से दुकान में कपड़े का माल व रोकड़ खाते जल जाने का कथन करते हुए देवी चंद द्वारा खेमचंद से 3,90,000/- रुपए उधार लेकर प्रोमेसरी नोट लिखा जाना और स्वयं का बतौर गवाह प्रोमेसरी नोट पर हस्ताक्षर करना बताया है। गवाह ए.डब्ल्यू -04 खेमचंद ने देवी चंद की दुकान में आग लग जाना, दुकान में रखा माल व रोकड़ खाते जल जाना, कथन करते हुए देवी चंद द्वारा उससे 3,90,000/- रुपए प्राप्त कर प्रोमेसरी नोट लिखा जाना और उधार दी गई राशि के बदले देवी चंद द्वारा खुद की खातेदारी की भूमि को, जो की 1.83 हेक्टेयर ग्राम ललावंडी में स्थित है, उसका 8/54 हिस्सा यानी रकबा 0.2711 हेक्टेयर का बेचान 4,72, 500/- रुपए में किया जाना बताया है। उक्त विक्रय पत्र की सत्य प्रति प्रदर्श-06 प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में प्रदर्शित करवाई गई है।

18- अप्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में गवाह डी.डब्ल्यू - 01 नरेंद्र कुमार जलथनिया ने मुख्य परीक्षण में प्रार्थी द्वारा ऋण राशि हड़प करने की गरज से मनमाने तरीके से, प्रार्थना पत्र मैं गलत तथ्य बताए जाने का कथन किया है एवं प्रार्थी के पास काफी चल अचल संपत्ति होना भी बताया है। प्रति परीक्षा में गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह बात सही है कि जो असेट्स लैटर ऋणी बैंक को देता है, उसमें दर्ज चल-अचल संपत्ति का मौका मुआयना करते हैं। आसपास पूछताछ करते हैं तथा उसके कागजात भी देखते हैं, जिस वक्त पर्सनल असेट्स एवं लायबिलिटी में ऋणी द्वारा दिए गए संपत्ति के विवरण का मौके पर जाकर निरीक्षण करते हैं, लेकिन कागजात रखने या नहीं जरूरी नहीं है। यह मैं नहीं बता सकता कि आज की तारीख में उसके पास ग्राम ललावंडी में मकान या जमीन है।

19- अप्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में गवाह डी. डब्ल्यू-02 रघुवर दयाल ने बैंक के दस्तावेज़त प्रमाणित करने के संबंध में साक्ष्य दी है।

20- इस प्रकार जो साक्ष्य प्रार्थी की और से पेश की गई है, उससे यह तथ्य उभर कर आता है कि प्रार्थी द्वारा स्वयं के पास ग्राम ललावंडी में भूमि थी, जिसे प्रार्थी द्वारा उसकी दुकान में आग लगने की घटना के बाद विक्रय किया गया है, उसके संबंध में प्रार्थी का यह तर्क रहा है कि प्रार्थी ने एक अन्य व्यक्ति खेमचंद ए.डब्ल्यू-04 से 3,90,000/- रुपए उधार लिए थे जिसका प्रोमेसरी नोट भी लिखा गया था। उक्त उधार ली गई राशि चुकाने का जरिया नहीं होने के कारण, उसने अपनी ग्राम ललावंडी की संपत्ति खेमचंद को विक्रय की थी, जिसका विक्रय पत्र प्रदर्श-06 प्रस्तुत किया गया है। उधार दिए जाने के संबंध में प्रेमेसरी नोट प्रदर्श-05 भी पेश हुआ है, जिसे गवाहों ने साबित किया है।

21- अतः उपर्युक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास ग्राम ललावंडी की भूमि पूर्व से थी। अप्रार्थी संख्या-05 बैंक की ओर से पर्सनल असेट्स एंड लायबिलिटीज स्टेटमेंट प्रदर्श ए-01 तथा ए-02 प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्टेटमेंट प्रदर्श ए-01 तथा ए-02 का समग्र रूप से अवलोकन करें तो यह प्रकट होता है कि प्रदर्श ए-01 दस्तावेज माह मार्च 2016 मैं जारी दस्तावेज है, जिसमें प्रार्थी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के 2,00,000/-रुपए तथा Gold Ornaments के 4,70,000/-रुपए होना घोषित किया था। इसके अलावा प्रार्थी ने ग्राम ललावंडी की भूमि तथा मकान की कीमत 15,00,000/- रुपए होना बताया है। स्टेटमेंट प्रदर्श ए-02, जो दिनांक 18.11.2017 का दस्तावेज है मैं, प्रार्थी ने ग्राम ललावंडी स्थित कृषि भूमि और मकान की कीमत 15,50,000/-रुपए, महावीर क्लॉथ की संपत्तियों की कीमत 9,86,000/- रुपए, अन्य संपत्तियों की कीमत 9,87,000/- रुपए, इस प्रकार कुल 35,23,000/- रुपए की संपत्तियां तथा 5,00,000/- रुपए के दायित्व होना बताते हुए, उक्त संपत्तियों में से दायित्व की राशि को कम करते हुए, अपनी कुल नेटवर्थ 30,23,000/- रुपए होना घोषित की गई है।

22- जब प्रार्थी स्वयं की निजी संपत्तियां, ऋण लेते समय वर्ष 2017 में 30,00,000/- रुपए से अधिक की बता रहा है, तो आग लगने से केवल मात्र उसकी दुकान में रखे सामान, जिसकी कीमत स्वयं प्रार्थी ने 9,86,000/- रुपए बताई है, वही नष्ट होना पाया गया है। शेष संपत्तियां फिर भी प्रार्थी के पास रहती हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रार्थी ने न्यायालय में अपनी संपत्तियों का ठीक प्रकार से विवरण पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने ग्राम ललावंडी की भूमि की कीमत बैंक में प्रस्तुत स्टेटमेंट प्रदर्श ए-02 में 15,50,000/- रुपए घोषित की थी, जिसका बेचान प्रार्थी ने उसकी दुकान में आग लगने के बाद केवल मात्र 4,72,500/- रुपए में किया है। संपत्ति की कीमत कम हो जाने का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है और न ही यह माना जा सकता है कि उसकी भूमि की कीमत कम हुई हो, जबकि यह उल्लेखनीय है कि इसी ग्राम ललावंडी की भूमि के संबंध में वर्ष 2016 में जारी स्टेटमेंट प्रदर्श ए-01 में भूमि की कीमत को 15,00,000/- रुपए दर्शित किया गया है और पुनः दिनांक 18.11.2017 को जारी स्टेटमेंट में उक्त भूमि की कीमत 15,50,000/- रुपए होना दर्शित किया गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि प्रार्थी स्वयं उक्त भूमि की कीमत का बढ़ जाना अंकित करके आया है। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि उसकी भूमि की कीमत कम हुई हो। ऐसे में उक्त भूमि की गलत कीमत अंकित करते हुए उसका विक्रय करने का तथ्य भी प्रकट होता है।

23- उपर्युक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए हम यह पाते हैं कि प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि उसके पास कोई भी चल-अचल संपत्ति नहीं है और उसके पास, उधार प्राप्त की गई राशि लौटाने का कोई साधन नहीं है। प्रार्थी ने ग्राम ललावंडी की भूमि के अलावा स्वयं के पास एल.आई.सी. के 2,00,000/- रुपए व 4,70,000/- रुपए के सोने के जेवरात होना भी बताया है, जिसके संबंध में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई हवाला नहीं दिया है। इससे प्रकट होता है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है और अपनी समस्त संपत्तियों के संबंध में न्यायालय के समक्ष ठीक प्रकार से विवरण पेश नहीं किया है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थी को दिवालिया घोषित किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। अतः साक्ष्य के उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत इस

न्यायालय के विनम्र मतानुसार विवाद्यक संख्या - 01 प्रार्थी के विवाद्यक संख्या - 02 अप्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित किए जाते हैं।

विवाद्यक संख्या - 03

24- इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर है अप्रार्थीगण द्वारा इस विवाद्यक के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि वे किस आधार पर प्रार्थी से विशेष हर्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः विवाद्यक संख्या-03 अप्रार्थीगण के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

अनुतोष

25- चूंकि विवाद्यक संख्या-01 प्रार्थी के विरुद्ध, विवाद्यक संख्या-02 अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या-03 अप्रार्थीगण के विरुद्ध विनिश्चित किया गया है और विवाद्यक संख्या-01 व 02 के विनिश्चय में यह पाया गया है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है और उसने अपनी संपत्तियों का ठीक प्रकार से विवरण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, ऐसे में प्रार्थी को दिवालिया घोषित किए जाने का अधिकारी होना नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

-आदेश-

26- अतः प्रार्थी देवीचंद की ओर से दिवालिया घोषित किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

27- वाद व्यय पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

28- तदनुसार पर्चा डिक्री बनाया जावे।

(अनंत भण्डारी)

29- निर्णय आज दिनांक 25.08.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर, बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन, विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)